संख्या– 526/XVI/06/7(36)/06

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
रेशम निदेशालय, उत्तरांचल
प्रेमनगर, देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1 देहरादून: दिनांक 20 मई,2006

विषय:– रेशम निदेशालय, उत्तरांचल के वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान संख्या–31(टी0एस0पी0) की आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव,वित्त के पत्रांक–908/XXXVII(1)/2006 दिनांक 24 अप्रैल, 2006 तथा आपके पत्रांक–326/रेशम/तक0अनु0/बजट, दिनांक 27 अप्रैल 2006 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के रेशम विभाग के अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की विभिन्न योजनाओं में प्राविधानित धनराशि रूपये 1045 हजार (दस लाख पैंतालिस हजार रूपये मात्र) के सापेक्ष संलग्न विवरणानुसार रूपये 945 हजार (नौ लाख पैंतालिस हजार रूपये मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की महागहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते हैं।

1. इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।
2. उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–908/XXVII (1)/2006/दिनांक 24, अप्रैल 2006 में दिये गये निर्देशो, शासन से समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रुल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधादन नियम संग्रह खण्ड–6 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
5. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुर्नरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।
6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. व्यय केवल उन्हीं मदो में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

...2/–

8. व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0—13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/ व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जावेगा।
9. सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद की धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके तीन किश्तों मे पूर्व स्वीकृत किश्त का पूर्ण उपयोग होने के उपरान्त ही अनुवर्ती किश्त का आहरण किया जायेगा। इस धनराशि का दिनांक 31/3/2007 तक मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
10. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जनजाति उपक्षेत्र योजना(टी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय।
11. जिला सेक्टर में जनजाति उपक्षेत्र योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का जिलेवार आवंटन जनपदों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में ही किया जाय। साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की कार्य योजना भी प्रस्तुत की जाय, जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन क्रियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।
12. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अंतर्गत ही किया जावेगा।
13. लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यों के लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
14. धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके केवल आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
15. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 में अनुदान संख्या—31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2401—फसल कृषि कर्म—00—आयोजनागत 796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना—00 के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—105/वित्त अनु0—4/2006/दि0—18/05/2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

संख्या—526/XV1/06/7(36)/06/तददिनांक:

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरॉचल,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,देहरादून।
2. वित्त अनुभाग—4,उत्तरॉचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉयू,पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
8. निजी सचिव, मा0 उद्यान मंत्री, उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर,देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या –526/XVI/06/7(36)/06, का संलग्नक

रेशम निदेशालय उत्तरांचल की वर्ष 2006–07 की अनुदान संख्या –31 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरण

धनराशि हजार रूपयें में

क0सं0	योजना / मद का नाम लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म– 00–आयोजनागत 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना –00–	प्राविधानित धनराशि	लेखानुदान के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली शेष धनराशि
	09–सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु			
1	कार्यशील पूंजी			
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	100	0	100
	योग: 09	**100**	**0**	**100**
2	10–जैविक रेशम विकास			
	02–मजदूरी	25	0	25
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	20	0	20
	26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयत्र	20	0	20
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	40	0	40
	योग :10	**105**	0	**105**
3	11–वृक्षारोपण विकास योजना			
	02–मजदूरी	15	0	15
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	15	0	15
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	70	0	70
	योग :11	**100**	**0**	**100**
4	12–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजनायें			
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	200	0	200
	योग: 12	**200**	**0**	**200**
5	16–रेशम उत्पादन प्रचार–प्रसार (जिला योजना)			
	02–मजदूरी	200	0	200
	08–कार्यालय व्यय	20	0	20
	19–विज्ञापन,बिक्री और विक्रयन व्यय	20	0	20
	26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयत्र	50	0	50
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	100	0	100
	योग :16	**390**	**0**	**390**
6	17– रेशम वस्त्र विकास			
	17– किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	100	0	-
	योग : 17	**100**	**0**	-
7	18–रेशम प्रशिक्षण योजना			
	08–कार्यालय व्यय	10	0	10
	42–अन्य व्यय	20	0	20
	44–प्रशिक्षण व्यय	20	0	20
	योग :18	**50**	**0**	**50**
	महायोग :796–	**1045**	**0**	**945**

(नौ लाख पैंतालिस हजार रूपये मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव।